कार्यालय कलेक्टर (खाद्य शाखा) जिला विदिशा अंतर्गत
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण
कार्यालय जिला विदिशा

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा के अंतर्गत 17 बिन्दुओ की जानकारी –

बिन्दु क्रमॉक –1
प्रस्तावनाः–
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का मुख्य कार्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत पात्र परिवारों को आवश्यक वस्तुयें जैसे गेहूँ, चावल, शक्कर, नमक मिट्टी तेल आदि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत संचालित उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से उपलब्ध कराना, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 व उसके अंतर्गत केन्द्रीय शासन /राज्य शासन द्वारा जारी विभिन्न नियंत्रण आदेशें का क्रियान्वयन व परिपालन कराना एवं खाद्यान्न उपार्जन कराना है ।

बिन्दु क्रमॉक –2

2.1 जिला आपूर्ति अधिकारी कार्यालय की विशिष्टयां कृत्य एवं कर्तव्य –

विभाग संचालन प्रमुख – आयुक्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण म0प्र0 भोपाल
जिला स्तर पर – कलेक्टर जिला विदिशा
अनुविभाग स्तर पर – अनुविभागीय अधिकारी
जिला स्तर पर विभागीय अधिकारीगण– जिला आपूर्ति अधिकारी
सहायक आपूर्ति अधिकारी/कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी

2.2 कार्यालय की प्रत्येक इकाई के कार्य एवं कर्तव्य –

क्र.	शाखा	कार्य
1.	नियंत्रण अधिकारी– जिला आपूर्ति अधिकारी	खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण द्वारा संचालित विभिन्न विभागीय गतिविधियों एवं कार्यकलापों का शासन आदेश/निर्देश अनुसार परिचालन
2.	कार्यपालिक अधिकारी – सहायक /कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी	शासन आदेश/निर्देश अनुसार नियंत्रण अधिकारी द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों का परिपालन जिले एवं विकास खण्ड स्तर पर अनुविभागीय अधिकारियों के निर्देशन में विभागीय गतिविधियों का परिचालन
3.	खाद्य कार्यालय में पदस्थ लिपिको द्वारा विभागीय कार्यो का सम्पादंन	नियंत्रण अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों का क्रियान्वयन एवं आवंटित शाखाओं का कार्य संपादन

विन्दु क्रमॉक –3 खाद्य विभाग अंतर्गत पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों की उपलब्धता एवं उनका कार्यक्षेत्र की जानकारीः–

3.1 इस कार्यालय अंतर्गत निम्नानुसार पद स्वीकृत है :–

क्र.	स्वीकृत पद का नाम	स्वीकृत पद संख्या	वर्तमान में कार्यरत	रिक्त	रिमार्क
1	जिला आपूर्ति अधिकारी	1	–	–	
2	सहायक आपूर्ति अधिकारी	5	5		दो अटैच भोपाल
3	कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी	8	5	3	
4	लेखापाल,	1	–	1	
5	सहायक वर्ग दो –	2	1	1	
6	सहायक वर्ग तीन –	3	4		भू–अभिलेख के साथ–साथ खाद्य में कार्यरत स्था.एवं लेंखा का कार्य
7	भृत्य	3	3	–	अटैच कलेक्टर बंगला

3.2 उक्त स्वीकृत पदो के विरूद्ध वर्तमान में कार्यपालिक अधिकारी/कर्मचारी निम्नानुसार कार्यरत है –

क्र.	अधिकारी का नाम	पद	कार्य स्थल
1	श्रीमती तरन्नुम अहमद	सहायक आपूर्ति अधिकारी	अटेच भोपाल संचालनालय
2	श्री राजेश वर्मा	सहायक आपूर्ति अधिकारी	अनुविभाग गंजबासोदा
3	श्री राजीव शर्मा	सहायक आपूर्ति अधिकारी	अनुविभाग सिरोंज, लटेरी
4	श्री विजय सालोडे	सहायक आपूर्ति अधिकारी	अनुविभाग विदिशा शहरी/ग्रामीण
5	श्री जुल्फीकार नकवी	सहायक आपूर्ति अधिकारी	पदस्थी दिनॉक से संलग्न संचा0 भोपाल
6	श्री विजय कुमार द्विवेदी	कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी	अनुविभाग ग्यारसपुर
7	श्री शिव कुमार पाण्डेय	कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी	अनुविभाग विदिशा शहर/ग्रामीण
8	श्रीमती पिंकी शाक्य	कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी	अनुविभाग नटेरन
9	सुश्री पूर्णिमा श्रीवास्तव	कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी	अनुविभाग कुरवाई
10	श्रीमती शाहना खान	कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी	शमशाबाद

3.3 उक्त स्वीकृत पदो के विरूद्ध वर्तमान में लिपिक वर्गीय /भृत्य कर्मचारी निम्नानुसार कार्यरत है –

क्र	कर्मचारी का नाम	पदनाम
1	श्री शिवराज सिंह ठाकुर	सहायक वर्ग दो
2	श्री प्रमोद खरे	सहायक वर्ग –तीन
3	कु.शिवागी कोशिक	सहायक वर्ग –तीन
4	श्रीमती राजकुमारी	सहायक वर्ग –तीन
5	श्रीमती दुर्गावती	भृत्या
6	श्री गंगाराम	भृत्य
7	श्री सुखलाल राजपूत	भृत्य (अटैच कलेक्टर बंगला)

3.4 कार्य विभाजन –

जिला आपूर्ति अधिकारी विदिशा के कार्यालय में पदस्थ लिपिक वर्गीय कर्मचारियों द्वारा निम्नानुसार कार्य सम्पादित किया जा रहा है –

क्र.	कर्मचारी का नाम	किया जा रहा कार्य
1	श्री शिवराज सिंह ठाकुर सहायक ग्रेड – दो	1. खाद्य शाखा से संबंधित समस्त केश वर्क संबंधी कार्य एवं उच्चन्यायालय संबंधी प्रकरण स्थानीय सहायक आपूर्ति अधिकारी के निर्देशन में ।
		2. गोदाम (वेयर हाउस) संबंधी संमस्त कार्य ।

		3. उपार्जन संबंधी समस्त कार्य
		4. शिकायत संबंधी (सूचना के अधिकार) समस्त कार्य
		5. केरोसिन लायसेंस संबंधी समस्त कार्य
		6. पुराने वसूली संबंधी प्रकरणों पर कार्यवाही ।
		7. विधान सभा प्रश्नों पर कार्यवाही ।
		8. खाद्य शाखा में जमा समस्त प्रतिभूतियों के वापसी का कार्य ।
		9. अन्य कार्य जो समय–समय पर जिला आपूर्ति अधिकारी द्वारा सौपे जाते है ।
2	श्री कैलाश नारायण सोनी , सहायक ग्रेड–3	1. खाद्य शाखा का समस्त लेखा एवं बजट संबंधी कार्य एवं लेखा शाखा की समस्त पंजियों का संधारण ।
		2. खाद्य शाखा के कर्मचारियों की स्थानपना एवं वेतन/पेशन/एरियर/जी.पी.एफ. संबंधी समस्त कार्य
		3. गोपनीय प्रतिवेदन, आडिट एवं लेखा मिलान संबंधी कार्य
		4. विश्व उपभोक्ता दिवस ,15 अगस्त, 26 जनवरी , विश्व उपभोक्त सरंक्षण दिवस संबंधी कार्य
		5. एण्ड टू एण्ड कम्प्यूटर के बजट संबंधी समस्त कार्य
		6.. अन्य कार्य जो समय–समय पर जिला आपूर्ति अधिकारी द्वारा सौपे जाते है ।
3	श्री प्रमोद खरें सहायक ग्रेड–3	1. सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत खाद्यान्न, शक्कर, केरोसिन का शहरी एवं ग्रामीण संबंधी आवंटन, उठाव, वितरण का समस्त कार्य ।
		2. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश संबंधी कार्य स्थानीय सहायक आपूर्ति अधिकारी के निर्देशन में ।
		3. गैस ऐजेन्सी संबंधी कार्य
		4. पेट्रोल डीजल लायसेंस संबंधी समस्त कार्य ।
		5. समस्त हिन्दी टायपिंग कार्य
		6 केरोसिन (मिट्टी तेल) संबंधित समस्त कार्य ।
		7 साप्ताहिक एवं मासिक सिलाईड तैयार करना/भिजवाना स्थानीय सहायक आपूर्ति अधिकारी के निर्देशन में ।
		8 अन्य कार्य जो समय–समय पर जिला आपूर्ति अधिकारी द्वारा सौपे जाते है ।
4	कुमारी शिवांगी कौशिक सहायक ग्रेड–3	1. राशनकार्ड संबंधी समस्त कार्य
		2. उपभोक्ता क्षेत्र में पुरस्कार /उपभोक्ता संरक्षण संबंधी समस्त कार्य
		3. जन सुनवाई एवं जन शिकायत संबंधी कार्य ।
		4. लोक सेवा गारंटी अधिनियम संबंधी समस्त कार्य ।
		5 स्टेशनरी स्टोर, मालखाना,से संबंधी समस्त कार्य
		6. अन्य कार्य जो समय–समय पर जिला आपूर्ति अधिकारी द्वारा सौपे जाते है ।

5	श्रीमती राजकुमारी सहायक वर्ग –03	1. आवक, जावक संबंधी समस्त कार्य ।
		2. कार्यालय में प्रस्तुत पेट्रोल डीजल के पत्रको का संग्रह
		3. नवीन एवं डुप्लीकेट राशनकार्डो के निर्माण में कु. शिवागी का सहयोग करना
		4. मध्यान्ह भोजन एवं सॉक्षा चूल्हा से संबंधित समस्त कार्य ।
		5. अन्य कार्य जो समय–समय पर जिला आपूर्ति अधिकारी द्वारा सौपे जाते है ।
6	श्री विवेक रैकवार एण्ड टू एण्ड कम्प्यूटर अंतर्गत आपरेटर	1. श्री शिवकुमार पाण्डेय, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी विदिशा एवं सहायक आपूर्ति अधिकारी विदिशा के अंतर्गत सौपे गये कार्य
		2. खाद्य शाखा संबंधी मेल देखना एवं करना तथा मीटिग की जानकारी सहायक/कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी के निर्देशन में तैयार कर प्रस्तुत करना
7	श्री पुष्पेन्द्र दांगी एण्ड टू एण्ड कम्प्यूटर अंतर्गत आपरेटर	1. श्री शिवकुमार पाण्डेय, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी विदिशा एवं सहायक आपूर्ति अधिकारी विदिशा के अंतर्गत सौपे गये कार्य
		2. खाद्य शाखा संबंधी मेल देखना एवं करना तथा मीटिग की जानकारी सहायक आपूर्ति /कनिष्ठ अधिकारी के निर्देशन में तैयार कर प्रस्तुत करना

विन्दु क्रमॉक –4 कृत्यों के निर्वाहन हेतु नियम, विनिमय, अनुदेश, निर्देशिका एवं कर्तव्य

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत निर्मित निम्न नियंत्रण आदेशों अंतर्गत क्षेत्राधिकार अंतर्गत कार्य संपादन –

4.1 पी0डी0एस0 कंट्रोल आर्डर 2001
4.2 म0प्र0 सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2015
4.3 केरोसिन (उपयोग पर निर्वधंन तथा अधिकतम कीमत नियंतन) आदेश 1993
4.4 म0प्र0 केरोसिन व्यापारी (अनुज्ञापन) आदेश 1979
4.5 म0प्र0 एम0एस0एच0एस0डी0 (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश 1980
4.6 द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय ओर वितरण विनियमन) आदेश 2000
4.7 म0प्र0 उपभोक्ता संरक्षण नियम 1987

विन्दु क्रमॉक –5 नीति निर्धारण व कार्यवाहन के संबंध में जनता प्रतिनिधि से परामर्श के लिये बनाई गई व्यवस्था का विवरण

लोक कल्याण शिविर /अन्त्योदय मेला

विन्दु क्रमॉक –6 लोक अधिकारी के पास उसके नियंत्रण में उपलब्ध दस्तावेजों का प्रवर्ग के अनुसर विवरण (अभिलेखों का वर्गीकरण)

क्र.	अभिलेख का नाम	अभिलेख का प्रकार	अवधि
1	आवक/जावक पंजी	रजिस्टर	अद्यतन
2	स्टाप पंजी	रजिस्टर	अद्यतन
3	स्टेशनरी पंजी	रजिस्टर	अद्यतन
4	सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत प्रदत्त आवंटन	नस्ती	अद्यतन

5	प्रकरण (केसवर्क)	नस्ती / रजिस्टर	अद्यतन
6	उपार्जन	नस्ती	अद्यतन
7	अनुज्ञप्तियॉ	नस्ती / रजिस्टर	अद्यतन
8.	सूचना के अधिकार अधिनियम अंतर्गत आवेदन पंजी एवं केश बुक	नस्ती / रजिस्टर	अद्यतन
9	जिले में पंजीकृत वेयर हाउसों की पंजी	नस्ती / रजिस्टर	अद्यतन
10	केश बुक	रजिस्टर	अद्यतन
11	पी.डी. एकाउंट की केशबुक	रजिस्टर	अद्यतन
12	बजट आवंटन पंजी	रजिस्टर	अद्यतन
13	हाउस विल्डिंग लोन	रजिस्टर	अद्यतन
14	आय, व्यय पंजी	रजिस्टर	अद्यतन
15	विधान सभा पंजी	रजिस्टर	अद्यतन

विन्दु क्रमॉक –7 समितियों की जानकारी जिनके सदस्य जनप्रतिनिधि है के गठन की कार्यवाही शासन के परिपत्र दिनॉक 2.1.2016 के पालन में गतिशील है –

7.1 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 अंतर्गत गठित समितियॉ

1. जिला स्तरीय खाद्य सुरक्षा सतर्कता समिति
2. विकासखण्ड स्तरीय खाद्य सुरक्षा सतर्कता समिति
3. उचित मूल्य दुकान स्तरीय खाद्य सुरक्षा सतर्कता समिति

विन्दु क्रमॉक –8 लोक सहायक सूचना अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलेट अधिकारियों का विवरण –

8.1 लोक सूचना अधिकारी – जिला आपूर्ति अधिकारी विदिशा

8.2 सहायक सूचना अधिकारी सहायक आपूर्ति अधिकारी विदिशा

8.3 लोक सूचना अपीलीय अधिकारी– कलेक्टर विदिशा

विन्दु क्रमॉक –9 निर्णय लेने की प्रक्रिया –

अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जारी नियंत्रण आदेशों में वर्णित प्रक्रिया अनुसार –

9.1 जिला स्तर पर – 1. कलेक्टर
2. जिला आपूर्ति अधिकारी

9.2 विकास खण्ड स्तर पर –1. कलेक्टर
2. अनुविभागीय अधिकारी
3. सहायक / कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी

विन्दु क्रमॉक –10 अपने अधिकारी / कर्मचारियों की निर्देशिका –

शासन आदेश के अनुरूप

विन्दु क्रमॉक –11 प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी के वेतन भत्तों ओर उसके निर्धारण की पद्धति जिला स्तर पर –

क्र.	पदनाम	पद	वेतनमान (वेतन बैंण्ड)
1	2	3	4
1	जिला आपूर्ति अधिकारी	01	15600.39100
2	सहायक आपूर्ति अधिकारी	05	9300.34800
3	कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी	08	5200.20200
4	लेखापाल	01	5200.20200
5	सहायक ग्रेड– दो	02	5200.20200
6	सहायक ग्रेड–तीन	03	5200.20200
7	भृत्य	03	4440.7440
8	आपरेटर एम.पी.कोन से अधिकृत	04	

विन्दु क्रमॉक –12 वार्षिक बजट आवंटन

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय म.प्र. भोपाल से मॉग संख्या 39 लेखा शीर्ष 2408 खाद्य भण्डारण ओर भण्डागारण के अन्तर्गत प्राप्त आवंटन (बजट आवंटन एवं व्यय पत्रक)

विन्दु क्रमॉक –13 अनुदान/राजसहायता कार्यक्रम के क्रियान्वयन की रीति–

नॉन प्लान विभाग होने से अनुदान/राज सहायता कार्यक्रम निरंक

विन्दु क्रमॉक –14 रियायतों अनुज्ञापत्रों तथा अधिकारों के प्राप्ती कर्ताओ के संबंध में विवरण

14.1 सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आपूर्ति व्यवस्था –उपभोक्ताओ को खाद्यान्न, शक्कर, केरोसिन, नमक आदि वस्तुए उचित मूल्य पर उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से रियायती दर पर उपलब्ध कराने हेतु भारत शासन के निर्देशों के अनुरूप लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्रियाशील है ।

14.2 शासकीय उचित मूल्य दुकानें –सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ करने के लिये दिनॉक 01.03. 1992 से उचित मूल्य दुकानों का सहकारीकरण किया गया है । जिले में 470 उचित मूल्य दुकाने संचालित है जिनमें से 71 शहरी एवं 399 ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है । दुकानों का संचालन नियंत्रण आदेश में पात्र पंजीकृत उपभोक्ता भंडारो/सहकारी समितियों द्वारा किया जाता है । वर्तमान में सभी उचित मूल्य दुकानों पर पी.ओ.एस मशीन के माध्यम से माह जनवरी 2016 से सामग्री का वितरण किया जा रहा है ।

14.3 शासकीय उचित मूल्य दुकानों को द्वार प्रदाय योजनान्तर्गत सामग्री म.प्र.स्टैट सिविल सप्लाई कार्पोरेशन द्वारा प्रदाय की जा रही है ।

14.4 केरोसिन – जिले में कार्यरत 06 थोक केरोसिन डीलरों एवं 28 सेमी होल सेलरो के माध्यम से शासकीय उचित मूल्य दुकानों को आवंटन अनुसार केरोसिन प्रदाय किया जा रहा है ।

14.5 पेट्रोलियम पदार्थ – जिले में 91 पेट्रोल, डीजल पम्प एवं 13 एल.पी.जी. डीलर्स के माध्यम से उपभोक्ताओ को उपलब्ध कराया जा रहा है ।

14.6 उपार्जन – जिले में रवी उपार्जन का कार्य जिला प्रबंधक मार्फेड (विपणन संघ) द्वारा किया जाता है जिला आपूर्ति अधिकारी कार्यालय जिला स्तर पर समन्वय का कार्य करता है ।

प्रारूप 'क' (खण्ड 5 देखिये)
मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट तथा हाईस्पीड डीजल आयल (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश 1980 के अधीन
अनुज्ञप्ति की मन्जूरी /नवीनीकरण के लिये आवेदन

श्रीमान कलेक्टर एवं अनुज्ञापन अधिकारी,

1. जिसके लिये अनुज्ञप्ति अपेक्षित है उसका नाम..

2. आवेदक का नाम बडे अक्षरों में ....

3. पिता/पति का नाम ....

4. आवेदक के निवास स्थान का पूर्ण पता ....

5. क्या फर्म एक मात्र स्वत्वधारी संस्थान है या भागीदारी फर्म है या नियमित कम्पनी है । कृपया यह भी बताईये कि क्या वह रजिस्ट्रीकृत है या रजिस्ट्रीकृत नही है ....

6. स्वत्वाधारी का नाम तथा पता/भागीदारी के नाम तथा पते ....

7. उस स्थान या परिसर का पूरा पता जहां कारोबार सम्पादित किया जाना है ....

8. आयल के संग्रहण के स्थान का पूरा पता/स्थानों के पूरे पते ....

9. आयल का नाम जिसके लिये अनुज्ञप्ति अपेक्षित है जैसे मोटर स्पिरिट या हाई स्पीड या हाई डीजल या दो ....

10. आवेदक कितने समय से आयल का व्यापार कर रहा है ....

11. आयल की मात्रा जिसका गत वर्ष के दौरान व्यापार किया गया ....

12. आयल का कारबार करने के लिये नगर पालिका का अनुज्ञप्ति का कमाक यदि कोई हो ....

13. आवेदन करने की तारीख को आवेदक के कब्जे में आयल की मात्रा ....

14. मद 12 में निर्दिष्ट अनुज्ञप्ति को छोडकर फर्म द्वारा पेट्रोलियम नियमों के अधीन धारित अनुज्ञप्ति की, यदि कोई हो विशिष्टियां ।

15. फुटकर निकासी के मामले में कृपया उस आयल कम्पनी का नाम बताइये जिसका कि फर्म –1 अनुमोदित व्यापारी है और नियुक्ति पत्र की अभिप्रमाणित प्रति भी संलग्न कीजिये।

16. क्या आवेदक का फर्म का कोई भागीदार या निदेशक या पदाधिकारी या फर्म आवश्यक वस्तु अधिनियम या 1955 या पेट्रोलियम उत्पादों से संबंधित किसी अन्य विधि के अधीन किसी अपराध के लिये पूर्व में सिद्ध दोष ठहराया गया है। यदि हां तो कृपया संक्षेप में उसकी विशिष्टयों तथा उसको अधिनिर्मित किये गये दण्डादेश का वर्णन किजिये।

17. क्या फर्म के विरूद्ध पेट्रोलियम उत्पादों से संबंधित किसी अपराध के लिये कोई मामला लंबित है तो संक्षेप में उसकी विशिष्टियां तथा वर्तमान स्थिति बताइये।

18. क्या आवेदक या फर्म का अन्य कोई भागीदार/पदाधिकारी किसी अन्य स्थान पर पेट्रोलियम/पेट्रोल डीजल पम्प का कारोबार चला रहा है या क्या वह ऐसी किसी फर्म का स्वत्वधारी भागीदारी पदाधिकारी है । यदि हां , तो कृपया विवरण दिजिये ।

19. विक्रय कर रजिस्ट्रीकरण ....
केन्द्रीय विक्रय कर ....
स्थानीय विक्रय कर ....
मै/हम घोषण करता हूं/करते हैं कि उपर विनिर्दिष्ट की गई आयल की मात्रा आज मेरे कब्जे में है और उपर अंकित स्थानों पर रखी है ।
मैं/हमने मध्यप्रदेश मोटर स्प्रीरिट तथा हाई स्पीड डीजल आइल (अनुज्ञापन तथा नियंत्राण) आदेश, 1980 से संलग्न प्रारूप –ख में अनुज्ञप्ति की शर्तों का सावधानी पूर्वक पडा है । और मैं/हम उनका पालन करने के लिये सहमत हूं/हैं।
मैं/हम यह भी घोषणा करता हूं/करते हैं कि उपर दी गई जानकारी मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है और कोई भी बात छिपाई नही गई है।
मैं/हम अनुज्ञप्ति क्रमांक........................ तारीख.............................के जो कि मुझे/हमें तारीख ....को जारी की गई नवीनीकरण के लिये, एतद् द्वारा आवेदन करता हूं/करते हैं।
चालान क्रमांक .... दिनांक ....रूपये .... बैंक का नाम ....
जमा प्रतिभूति/अमानत राशि ....रसीद नम्वर ....दिनांक.......
स्थान..........................
तारीख ....

आवेदक के हस्ताक्षर

मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट तथा हाईस्पीड डीजल आयल (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश 1980 के अधीन आयल के क्रय, विक्रय तथा विक्रय के लिये संग्रहण हेतु अनुज्ञप्ति जारी करने बाबत आवश्यक दस्तावेज/शुल्क संबंधी जानकारी :–

1. निर्धारित प्रारुप ''क'' पर आवेदन पत्र मय कोर्ट फीस रु. 5/– के साथ
2. कम्पनी से अनुबंध की प्रति – नियुक्ति पत्र की प्रति जो कलेक्टर को संबोधित हो एवं अनुमति दिये जाने की अनुशंसा हो ।
3. विस्फोटक नियंत्रक की भण्डारण हेतु अनुज्ञप्ति
4. भूमि के मालिकाना स्वरुप एवं डायवर्सन संबंधी दस्तावेज
5. जिला दण्डाधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं एनओसी में दी गयी शर्तो का पालन ।
6. नक्शा– दो प्रति में ।
7. निर्धारित अनुज्ञप्ति शुल्क का चालान ।
8. निर्धारित प्रतिभूति राशि ''राष्ट्रीय बचत पत्र'' द्वारा ।

प्रारूप – क

(खण्ड 4 देखिये)

मध्यप्रदेश केरोसिन व्यापारी अनुज्ञापन आदेश 1979 के आधीन अनुज्ञप्ति दी जावें या उसके नवीनीकरण के लिये आवेदन –पत्र का प्रारूप

प्रति,

कलेक्टर तथा अनुज्ञापन अधिकारी
जिला विदिशा

अनुज्ञप्ति क्रमॉक................

1. नाम जिस पर अनुज्ञापन अपेक्षित है ....
2. आवेदक का नाम बड़े अक्षरों में ....
3. पिता का नाम ....
4. आवेदक का पूरा पता ....
5. स्वामी/स्वमियों/भागीदार का/ ....
   के नाम तथा पूरा पता ....
6. उस स्थान अर्थत दुकान का पता ....
   जहॉ करोवार चलाया जाना है ....
7 केरोसिन संग्रह करने का स्थान/ ....
   स्थानों का पूरा पता ....
8. आवेदन अनुज्ञप्ति का प्रकार अर्थात थोक,सेमी, फुटकर ....
9. आवेदक कितने समय से केरोसिन का व्यापार कर रहा है ....
10. पिछले वर्ष के दौरान क्रय–विक्रय किये गये केरोसिन की मात्रा ....
11. केरोसिन का व्यापार करने के लिये नगर पालिका से प्रदत्त अनुज्ञप्ति ....
   यदि कोई हो तो क्रमॉक
12. आवेदन करने की तारीख को आवेदक के कब्जे में केरोसिन मात्रा ....
13. विन्दु 11 में विनिदिष्ट की गई विशिष्टियों को छोड़कर अनुज्ञप्ति की कोई अन्य विशिष्टियॉ यदि कोई हो तो ....

मैं/हम यह घोषणा करता हूॅ/करते है कि केरोसिन की ऊपर विशिष्ट मात्रा आज की तारीख को मेरे कब्जे में है । ओर वह ऊपर उल्लेखित स्थानों में रखी हुई है । मैने /हमने मध्यप्रदेश केरोसिन व्यापारी अनुज्ञापन आदेश 1979 के संलग्न प्रारूप ''ख'' में दी गई अनुज्ञप्ति की शर्तो को सावधानी से पढ़ा है तथा उनका पालन करने के लिये में सहमत हूॅ/हम सहमत है । मैं /हम यह भी घोषित करता हूॅ/घोषित करते है कि उपर्युक्त जानकारी मेरी/हामारी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सही है ।

मैं /हम यह भी घोषणा करता हूॅ/करते है कि हम तारीख ....को जारी की गई अनुज्ञप्ति क्रमॉक ....तारीख ....के नवीनीकरण के लिये इसके द्वारा आवेदन करता हूॅ /करते है ।

नवीनीकरण शुल्क.................चालान क्र.................... दिनॉक ....

संलग्न :–

स्थान तथा तारीख

आवेदक के हस्ताक्षर
नाम/पता

प्रारूप–'ख'
(खण्ड–6 देखिये)

मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट तथा हाईस्पीड डीजल आयल (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश, 1980 के अधीन आयल के क्रय,विक्रय तथा विक्रय के लिये संग्रहण हेतु अनुज्ञप्ति————————

अनुज्ञप्ति क्रमांक ....

जारी करने की तारीख......................

अनुज्ञप्ति फीस ....रूपये चुकाई गई।

1. मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट तथा हाई स्पीड डीजल आयल (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश 1980 के उपबन्धों तथा इस अनुज्ञप्ति के निर्बधंनों तथा शर्तो के अध्यधीन रहते हुये श्री .... (अनुज्ञप्तिधारी का नाम) व्यापारी के रूप में आयल का क्रय करने, विक्रय करने या विक्रय के लिये संग्रहण करने हेतु एतद् द्वारा प्राधिकृत किया जाता है / किये जाते हैं।

2. (क) अनुज्ञप्तिधारी पूर्वोवत कारबार निम्नलिखित स्थान/स्थानों पर करेगा, ...

(ख) अनुज्ञप्तिधारी विक्रय के लिये आयल का संग्रह निम्नलिखित स्थानों पर करेगा,.... ....

टिप्पणी– यदि अनुज्ञप्तिधारी उपर ,विनिर्दिष्ट किये गये स्थानों को छोडकर अन्य स्थान में आयल का संग्रह करता है तो वह ऐसे संग्रहण के 48 घंटे के भीतर अनुज्ञापन प्राधिकारी को उसकी जानकारी देगा और ऐसी जानकारी के साथ अनुज्ञपित को भी उसने आवश्यक प्रविष्टियां करने के लिये पेश करेगा ।

3 (एक) अनुज्ञप्तिधारी , उस दशा में सिवाय जब कि राज्य सरकार इस संबंध में विनिर्दिष्टः छूट दे दी गई हो , निम्नलिखित प्रारूप में स्टाक तथा विक्रय रजिस्टर रखेगा ...

स्टाक तथा विक्रय रजिस्टर

तारीख	आरम्भिक स्टाक	प्राप्ति	योग	विक्रय	अतिशेष बुक स्टाक	अंतिम मीटर वाचन	अंतिम तल वाचन (डीपरीडिंग) (सेन्टीमीटर/लीटर)	कालम (7) तथा (8) के बीच का अन्तर	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(दो) अनुज्ञप्तिधारी प्रत्येग दिन के लिये अपने लेखे संव्यवहार की तारीख से दो दिन (अवकाश दिन छोडकर) के भीतर पूर्ण करेगा जब तक कि वह युक्तियुक्त कारण से निर्वारित न किया गया हो, जिसे साबित करने भार उस पर होगा।

4. अनुज्ञप्तिधारी मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट तथा हाईस्पीड डीजल आयल (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण आदेश, 1980 के उपलब्धों का उल्लघंन नही करेगा ।

5. अनुज्ञप्तिधारी पेट्रोलियम उत्पादों से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि के उपलब्धों में से किसी भी उपबंध नही करेगा।

6. अनुज्ञप्तिधारी–(एक) आयल के क्रय,विक्रय या विक्रय के लिये संग्रहण को अंतवर्लित करने वाले किसी भी संव्यवहार में परिकल्पित रीति में शामिल नही होगा जिसमें कि बाजार में आयल के प्रदाय की सहज उपलब्धता को बनाये रखने पर प्रतिकूल प्रभाव पडे।

(दो) विक्रय के लिये साधारणतः रखे गये आयल को बेचने से रोक नही रखेगा।

(तीन) किसी भी प्रकार का आयल किसी भी स्थान में उस कीमत से जो कि ऐसे स्थान में आयल के विक्रय के लिये विधि द्वारा प्रदत्त शक्ति के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा उसके उत्पादक द्वारा किसी बस्ती में आयल के विक्रय के लिये नियत की गई कीमत से उच्चतर कीमत पर ऐसी बस्ती में आयल नही बेचा या बेचने के लिये प्रस्ताव नही करेगा।

7. अनुज्ञप्तिधारी अपने कारबार के परिसरों के किसी प्रमुख स्थान पर अपने काम के घंटे तथा साथ ही दैनिक प्रारम्भिक स्टाक और वह कीमत जिसमें आचल बेचा जायेगा सुस्पष्ट रूप से देवनागरी लिपि में प्रदर्शित करेगा।

8. अनुज्ञप्तिधारी, उस दशा में के सिवाय जबकि उस राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में विशिष्टिः छूट दे दी गई हो, प्रत्येक ग्राहक को यथास्थिति में एक सही रसीद या बीजक (इनव्हायस) यदि उसके द्वारा ऐसी मांग की जाये जारी करेगा । जिसमें अपने स्वयं का नाम और पता तथा ग्राहक का नाम और पता, संव्यवहार की तारीख , बेचे गसे तेज की मात्रा तथा दर और प्रसारित की गई पूरी कीमत दर्शायी जाऐगी और वह प्रतिपर्ण या उसकी दूसरी प्रति को पुस्तक के रूप में रख लेगाा जो कि अनुज्ञापन प्राधिकारी या उसके द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा मांग किये जाने पर निरीक्षण के लिये सुगमता से उपलब्ध रहेगा।

टिप्पणी

शर्त 8 (1) (11) – पेट्रोल को लागू नही –अधिसूचना क्रमांक 4602–2669–29–2–83 दिनांक 30.7.87 द्वारा संशोधित किया गया है । खरीददार को रसीद देने की शर्त केबल हाई स्पीड डीजल आयल को ही लागू होती है पेट्रोल का लागू नही होता । इसलिये पेट्रोल पम्प का अनुज्ञप्तिधारी मोटर स्प्रीरिट की प्रत्येक बिक्री के लिये रसीद नही देता तो इस कारण उसकी अनुज्ञप्ति का निलंबित करना अवैद्यानिक है । वीरेन्द्र सिंह एवं अन्य वि. कलेक्टर जिला मंदसौर एवं अन्य ए.आई.आर. 1986 मध्यप्रदेश 1591 ।

9. अनुज्ञप्तिधारी, निम्नलिखित प्रारूप में सही मासिक विवरणी एवं उसके व्यापार के संबंध में ऐसी जानकारियां जैसे कि उससे मांगी जाये, अनुज्ञापन प्राधिकारी को इस प्रकार भेजेगा जिससे कि आगामी माह की सातवीं तारीख को उसे प्राप्त हो जावे और तेल की खरीदी, विक्री, भण्डारण , बिक्री के लिये और तेल के व्यपन के संबंध में संचालक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मध्यप्रदेश के प्राधिकृत पदाधिकारी या अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर दिये जाने वाले अनुदेशों का पालन करेगा/यथा ....

(क) माह के प्रथम दिन तेल का प्रारम्भिंक अतिशेष।

(ख) माह के दौरान तेल की प्राप्ति।

(ग) प्राप्ति का स्थान एवं स्त्रोत ।
(घ) स्तम्भ (क) एवं (ख) का योग।
(ड) माह के दौरान तेल की कुल बिक्री/प्रदाय।
(च) माह के प्रथम दिन बंद अतिशेष ।
(छ) टिप्पणी यदि कोई हो (इस स्तम्भ में बिक्री हुई परंतु प्रदाय नही की गई किसी मात्रा का पूर्ण विवरण उसके कारणों सहित प्रदर्शित किया जा सकता है ।

10. अनुज्ञप्तिधारी ऐसे मोटर आयल के विक्रय का प्रस्ताव या विक्रय का प्रयत्न नही करेगा जो विहित मानको के अनुरूप न हो या आयल के विक्रय के लिये त्रुटिपूर्ण मापों का पैमानों का उपयोग नही करेगा ।

11. अनुज्ञप्तिधारी, आयल के क्रय, विक्रय या संग्रहण के लिये उसके द्वारा उपयोग में लाए गए किसी दुकान, गोदामों या अन्य स्थान पर अपने स्टाकों तथा लेखाओं के निरीक्षण के लिये तथा परीक्षण के लिये आयल के नमूने लेने हेतु अनुज्ञापन प्राधिकारी या उसके द्वारा या राज्य सरकार या प्राधिकृत अधिकारी या संचालक द्वारा प्राधिकृत किये गये किसी अधिकारी को समस्त युक्तियुक्त समयों पर समस्त सुविधायें देगा।

12 यह अनुज्ञप्ति नवीनीकरण के लिये आवेदन के साथ संलग्न की जायेगी ।

13 यह अनुज्ञप्ति तारीख ....तक विधिमान्य रहेगा।

स्थान.........................
तारीख.........................

अनुज्ञापन प्राधिकारी

....
(अनुज्ञापन प्राधिकारी के हस्ताक्षर)

1. तारीख... तक नवीनीकरण किया गया । अनुज्ञापन प्राधिकारी
2. तारीख... तक नवीनीकरण किया गया । अनुज्ञापन प्राधिकारी
3. तारीख... तक नवीनीकरण किया गया । अनुज्ञापन प्राधिकारी
4. तारीख... तक नवीनीकरण किया गया । अनुज्ञापन प्राधिकारी
5. तारीख... तक नवीनीकरण किया गया । अनुज्ञापन प्राधिकारी

....

प्रारूप –क

मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2009 के आधीन उचित मूल्य की दुकान के लिये दुकान आवंटन प्राधिकार पत्र हेतु आवेदन पत्र

(1)	आवेदक सोसायटी का नाम	....
(2)	आवेदक सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण क्रमॉक	....
(3)	क्षेत्राधिकार के आधीन क्षेत्र/वार्ड क्र. एवं वार्ड का नाम	....
(4)	आवेदक सोसायटी का कार्यालय पता (प्रमाण पत्र की दो प्रतियॉ संलग्न की जाये)	....
(5)	आवेदक सोसायटी के अध्यक्ष का नाम	....
	पति/पिता का नाम	....
	निवास का पता	....
	दूरभाष/मोबाईल नम्बर	....
(6)	आवेदक सोसायटी प्रबंधक का नाम	....
	पिता का नाम	....
	निवास का पता	....
	दूरभाष/मोबाईल नम्बर	....
(7)	उचित मूल्य की दुकान /गोडाऊन का पता	....
	आवेदक सोसायटी का पता	....
	(पता सबूत की दो प्रति संलग्न की जायें)	....
(8)	क्या उचित मूल्य की दुकान/गोडाऊन आवेदक	....
	सोसायटी की स्वयं की है अथवा किराये पर है ?	....
	यदि स्वयं की है तव रजिस्ट्री की फोटो कापी	....
	संलग्न की जाए ? यदि किराए पर है तो अनुवंध की फोटो कापी संलग्न की जाए ?	....
(9)	आवेदक सोसायटी द्वारा लगाई गई पूंजी	....
	1. अंश पूजी	....
	2. कार्यशील पूंजी	....
	3. विगत तीन वर्षो की संपरीक्षा रिर्पोट	....
	4. आवेदक सोसायटी की वार्षिक कुल राशि	....
(10)	आवेदक सोसायटी द्वारा चालू किए व्यापार करने की	....
	प्रवृति एवं ब्यौरे	....
(11)	आवेदक सोसायटी के अध्यक्ष/प्रबंधक के विरूद्ध कोई	....
	कार्यवाही रजिस्टर्ड/प्रक्रियाधीन(विचारधीन) है यदि हॉ	....
	तो ब्यौरा दे ।	....
	(शपथ पत्र लगाया जाए)	

आवेदक सोसायटी के अध्यक्ष के हस्ताक्षर

आवेदक सोसायटी के प्रबंधक के हस्ताक्षर

पावती

1. कलेक्टर कार्यालय (खाद्य प्रभाग) जिला मध्यप्रदेश ....
2. उचित मूल्य दुकान का आवेदन पत्र क्रमॉक ....
3. आवेदक सोसायटी का नाम ....
4. प्रचलन क्षेत्र/क्षेत्राधिकार/वार्ड क्रमॉक ....
5. आवेदक सहकारी सोसायटी के अध्यक्ष का नाम ....
6. आवेदक सहकारी सोसायटी के प्रबंधक का नाम ....
7. आवेदन सहकारी सोसायटी के आवेदन प्रारूप के साथ संलग्न दस्तावेज ....
8. आज ....को आवेदक सोसायटी के अपेक्षित दस्तावेजो के साथ आवेदन पत्र प्राप्त हुआ ।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के
हस्ताक्षर एवं मुद्रा
जिला विदिशा (म.प्र.)

प्रारूप ''ग''

मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (वितरण ओर नियंत्रण) आदेश 2009 के अधीन अनुज्ञप्ति (नवीन / नवीनीकरण) हेतु आवेदन पत्र

(1) आवेदक संस्था का नाम ....

(2) आवेदक संस्था का पंजीयन क्रमॉक ....

(3) आवेदक संस्था के अध्यक्ष एवं प्रबंधक का नाम एवं पता ....
....

आवेदन कर रही संस्था के कार्यालय का पता (पते के सबूत की प्रति सहित) ....

संस्था द्वारा अभिनियोजित पूंजी –

1. अंश पूजी ....
2. कार्यशील पूंजी ....
3. विगत तीन वर्षो की संपरीक्षा रिर्पोट ....
4. संस्था का वार्षिक टर्न ओव्हर ....
   वर्तमान में किया जा रहा व्यवसाय ....

क्या संस्था के पास भंडारण की स्वयं की व्यवस्था है (यदि है तो उसका नक्शा) ....

लीड सोसायटी हेतु आवेदन –पत्र प्रस्तुत करने वाली संस्था के पास आवश्यक वस्तुओं के परिवहन हेतु व्यवस्था है (यदि है वाहनों की संख्या की सूची संलग्न करें) ....
....

संस्था /अध्यक्ष/प्रबंधक के विरूद्ध यदि कोई आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध है तो उसका विवरण ....
....

आवेदक संस्था के **अध्यक्ष/प्रबंधक** के
हस्ताक्षर

प्रारूप ''घ''

मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (वितरण और नियंत्रण) आदेश, 2009 के आधीन लीड सोसाइटी द्वारा उचित मूल्य दुकान को आवश्यक वस्तुओं के प्रदाय हेतु उठाव एवं परिवहन के लिए अनुज्ञप्ति आदेश

अनुज्ञप्ति क्रमॉक ....
जारी करने का दिनॉक ....
संस्था द्वारा अनुज्ञप्ति शुल्क ....रूपए चुकाई गई ।
प्रतिभूति निक्षेप (राष्ट्रीय बचत प्रमाण–पत्र का विवरण)..से जमा की गई ।

(1) श्री ....(अनुज्ञप्तिधारी/संस्था) को मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2009 द्वारा शासित इस अनुज्ञप्ति के निबंधन तथा शर्तो के अधीन आवश्यक वस्तुओं (खाद्यान्न तथा शक्कर) के उठाव परिवहन, वितरण एवं संग्रहण करने हेतु एतद् द्वारा प्राधिकृत किया जाता है ।

(2) (क) अनुज्ञप्तिधारी अपना कारबार निम्नलिखित स्थान/स्थानों पर संचालित करेगा ....
....

(ख) अनुज्ञप्तिधारी आवश्यक वस्तुओ का भण्डारण निम्नलिखित स्थानों पर करेगा ....
....

(3) अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति प्राप्त होने पर, निम्नलिखित प्रारूप से स्टॉक तथा वितरण पंजी अनुरक्षित रखेगा –

माह	वस्तु का नाम	आवंटन	प्रा.स्टाक	उठाव	वितरण	शेष मात्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

(4) अनुज्ञप्तिधारी अपने अधिकारिता क्षेत्र में सभी उचित मूल्य की दुकानों पर आवश्यक वस्तुओं के उठाव और परिवहन के लिए पर्याप्त कार्यशील पूंजी की व्यवस्था करेगा ।

(5) अनुज्ञापन प्राप्त संस्था सभी उचित मूल्य की दुकानों की आवश्यक वस्तुओं के परिवहन हेतु पर्याप्त संख्या में वाहन ट्रकों की व्यवस्था करेगी । वाहन लारी पर सुवाच्च अक्षरों में '' सार्वजनिक वितरण प्रणाली वाहन सेवा '' या तो मुद्रित (पेंट से अंकित) करेगा अथवा वाहन के बाहरी तरफ बैनर /फ्लैक्स वस्तु लगाएगा ।

(6) अनुज्ञापन संस्था, अनुज्ञापन अधिकारी से अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकेगी अथवा ऐसे कर्मचारियों को हटा सकेगी, कर्मचारी/विक्रेता द्वारा कृत किसी कार्य या अकार्य के लिये अनुज्ञप्तिधारी की भी जिम्मेदारी होगी ।

(7) अनुज्ञप्तिधारी संस्था, खाद्यान्न, शक्कर तथा केरोसीन के उठाव एवं वितरण रजिस्टर का (संग्रह पंजी, वितरण पंजी, लेखा पंजी, निरीक्षण पंजी, तथा शिकायत/सुझाव पंजी) का प्रतिदिन संधारण करेगी ।

(8) अनुज्ञप्तिधारी संस्था उचित मूल्य दुकान के आावश्यक वस्तुओं को प्रदाय करने के बाद उचित मूल्य की दुकान के विक्रेता/प्रबंधकको उसकी मात्रा तथा मूलय के साथ बिल प्रदाय करेगी ।

(9) अनुज्ञप्तिधारी संस्था विहित दिनो (दैनिक, साप्ताहिक तथा मासिक ब्यौरे) में वस्तुओ के उठाव और अतिशेष के ब्यौरे पूरी तरह से देगी ।

(10) अनुज्ञप्तिधारी संस्था/व्यक्ति उचित मूल्य की दुकान से प्ररूप ''च'' में खाद्यान्न की प्राप्ति का ब्यौरा एकत्रित करेगा और उसे खाद्य अधिकारी/उपखंड अधिकारी, राजस्व के कार्यालय में जमा करेगा

(11) अनुज्ञप्तिधारी संस्था मासिक वितरण से संबंधित दस्तावेज पृथक से रखेगा तथा उसे निरीक्षण /जॉच अधिकारी को उपलब्ध कराएगी ।

(12) अनुज्ञप्तिधारी संस्था अपनी वेबसाइट से सार्वजनिक वितरण प्रणाली से आवंटन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी की सामर्थ्यकारी सुविधाए जोड़ेगा और सार्वजनिक डोमेन पर उपभोक्ता के लिए ऐसी सूचनाऐ भी रखेगी ।

(13) अनुज्ञप्तिधारी संस्था राज्य सरकार /आयुक्त/जिला कलेक्टर/जिला खाद्य नियंत्रक/जिला आपूर्ति नियंत्रक और जिला आपूर्ति अधिकारी द्वारा समय–समय पर दिए सभी निर्देशो का अनुसरण करेगी ।

(14) अनुज्ञप्तिधारी संस्था मध्यप्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम के जारी केन्द्रो से निगरानी तथा मानीटरिंग समिति के उपखण्ड स्तर के तीन सदस्यों की उपस्थिति में आवंटित आवश्यक वस्तुओ के उठाव ओर उसे उचित मूल्य की दुकान की दुकान को परिदत्त करते हुए दूरसंचार /मोबाइल के माध्यम से जिला आपूर्ति अधिकारी /उपखंड अधिकारी को सूचना देगी ।

(15) अनुज्ञप्तिधारी संस्था आवश्यक वस्तुओं के उचित मूल्य की दुकान के प्रदाय कर देने के पश्चात् प्रत्येक माह की 07 तारीख को प्ररूप ''च'' में जानकारी एकत्रित करेगा और उसे जिला आपूर्ति नियंत्रक/जिला आपूर्ति अधिकारी को देगा ।

(16) अनुज्ञप्तिधारी संस्था इस आदेश के निबंधन तथा शर्तो का पालन न करने की दशा में दी गई अवधि में आवश्यक वस्तुओं के उठाव में असमर्थ रहने पर या उचित मूल्य की दुकान को परिवहन करने में असमर्थ रहने पर या देरी के लिए या किसी अन्य अनियमितता की दशा में, अनुज्ञप्ति निलंबित/रद्द की जा सकेगी तथा जमा प्रतिभूति या तो पूर्ण या आंशिक रूप से समपहरित की जा सकेगी ।

(17) अनुज्ञप्तिधारी संस्था, अनुज्ञप्ति की समाप्ति के पहले, 31 नवम्बर तक अनुज्ञप्ति का नवीकरण के लिए नवीकरण शुल्क रूपए 1000/— के चालान द्वारा मद संख्या 0435 में जमा करके कराएगा इसके प्श्चात जमा किए गए कोई आवेदन पर विलम्ब शुल्क के रूप में 500 रूपए की शास्ति अधिरोपित की जाएगी तथा आगामी माह के 15 दिसम्बर तक स्वीकार किए जा सकेगे ।

(18) अनुज्ञप्तिधारी संस्था द्वारा नीले केरोसिन का भी संव्यवहार करने की दशा में, संस्था को मध्यप्रदेश केरोसिन व्यापारी (अनुज्ञापन) आदेश 1979 के आधीन पृथक से नई अनुज्ञप्ति लेना होगी और व उसी आदेश के निबंधन तथा शर्तो के अधीन शासित होगी ।

(19) अनुज्ञप्धिारी संस्था अनुज्ञापन प्राधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को कारबार का स्थान, वाहन, स्टाक तथा अन्य खातों के निरीक्षण को सुकर बनाएगी ।

(20) जारी की गई अनुज्ञप्ति, अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिए आवेदक के साथ प्रस्तुत की जाएगी।

(21) अनुज्ञप्ति तारीख...तक विधिमान्य रहेगी ।

स्थान :
तारीख :
अनुज्ञापन हस्ताक्षरकर्ता,

अनुज्ञापन प्राधिकारी या
प्राधिकारी की ओर से प्राधिकृत

प्रारूप –ख

दुकान आवंटन प्राधिकार–पत्र

मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण (नियंत्रण) आदेश, 2009 के अधीन उचित मूल्य की दुकान के प्रचालन हेतु दुकान प्राधिकार पत्र

प्राधिकार–पत्र क्रमॉक..............................प्रतिभूति निक्षेप के ब्यौरे ....दुकान क्रमॉक ....

(संस्था का नाम)...मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 के अधीन रजिस्ट्रीकृत संस्था ।
श्री / श्रीमती / कुमारी ....(संस्था का अध्यक्ष) एवं श्री / श्रीमती / कुमारी...को सोसाइटी का प्रबंधक / सेल्समेन होने के नाते, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2009 के अधीन निम्नलिखित शर्तो ओर निबंधनों के अधीन उचित मूल्य की दुकान क्रमॉक ....के प्रचालन के लिए प्राधिकृत किया जाता है ।

(1) आवेदक सोसाइटी गतिविधियों का संचालन एवं सभी आवश्यक वस्तुओ का भण्डारण निम्नलिखित स्थल के सिवाय अन्यत्र नहीं करेगा :–
मकान क्रमॉक ....वार्ड / ग्राम...स्थान..पुलिस थाना...तहसील...जिला ....

टीप – (एक) यदि उचित मूल्य दुकान या आवश्यक वस्तुओं का गोडाऊन भण्डारण उपरोक्त से भिन्न स्थान पर संचालित किया जाता है, तो आवेदक सोसाइटी प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता को लिखित में आवेदन करेगा तथा तद्नुसार उसकी पूर्वानुमति प्राप्त कर पूर्व दुकान प्राधिकार–पत्र में संशोधन कराएगा ।

(दो) उचित मूल्य दुकान गरीबी रेखा से ऊपर, गरीबी रेखा से नीचे तथा अन्त्योदय अन्न योजना के लिए पृथक युनिट / राशन दर्शाए हुए राशनकार्ड रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर एवं वितरण रजिस्अर संधारित करेगा। रजिस्टर तत्परता से भरे जाएंगे एवं खाद्यान्न की मात्रा के वितरण का समाघन (मिलान) प्रतिदिन सांयकाल तक किया जाएगा ।

(तीन) उचित मूल्य दुकान में पीले रंग के बोर्ड पर हिन्दी मं दुकान का नाम 75 सेमी x 150 से.मी. के आकार में प्रदर्शित करेगा, बोर्ड लकड़ी के फेममें मढ़ा हुआ मोटी टीन की चादर से बना होना चाहिए जिस पर उचित मूल्य की दुकान का नाम काले अक्षरों में अंकित हो ।
जैसा कि नीचे नमूना दिया गया है –

मध्यप्रदेष शासन 75 से.मी. सरकारी उचित मूल्य की दुकान 15 से.मी. दुकान क्रमॉक......................एजेन्ट............................5 से.मी. स्थान.................................दुकान प्रातः ....से तक तथा सांय..............................से ....तक खुलेगी 3.75 से.मी. अवकाष दिवस ....

(2) उचित मूल्य दुकान में 90 सेमी ग 120 सें.मी. आकार के काले बोर्ड पर मूल्य सूची दुकान पर प्रदर्शित करेगा, जो दुकान के सहजदृश्य स्थान पर लगाया जाएगा ।

गरीबी रेखा के नीचे की संख्या, अन्त्योदय अन्न योजना, राशनकार्डो की संख्या, राशनकार्ड धारकों की विभिन्न प्रवर्गो को दी गई राशि तथा प्रांरभिक स्टाक, वितरित की गई राशि तथा निर्गम दर जिस पर खाद्यान्न बेचा गया है, स्पष्ट रूप से उपदर्शित होना चाहिए, उचित मूल्य की दुकान के निर्देशक के नाम दुकान से संलग्न ग्रामों की संख्या, गांव एवं प्रबंधक/विक्रेता के पद सहित नाम जिनको शिकायते भेजी जा सकती है, वर्णित किया जाए, बोर्ड को अद्यतन अनुरक्षित किया जाएगा तथा निदेशक/प्रबंधक/सेल्समेन के बोर्ड पर हस्ताक्षर होगे ।

(3) उचित मूल्य दुकानमें अन्य काला बोर्ड भी लगाएगा जिस पर निगरानी तथा मानीटरिंग समिति के सदस्यों के नाम के साथ उनके मोबाईल नम्बर तथा पता दुकान के भीतर एक निश्चित स्थान पर प्रदशित किए जाएगे ।

(4) उचित मूल्य दुकान सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 में विनिर्दिष्ट प्रारूप ''क'' में मासिक विवरण लीड सोसाइटी के माध्यम से माह के अंत में ऐसी रीति में प्रस्तुत करेगा ताकि लीड सोसाइटी माह की 07 तारीख तक जिला पूर्ति नियंत्रक/जिला पूर्ति अधिकारी को समस्त प्रारूप प्रस्तुत कर सके

(5) राशनकार्ड धारकों के अधिकार एवं उनमें निहित शक्तियां दुकान के भीतर किसी निश्चित उपयुक्त दृश्य भाग में लगाई जाए ।

(6) उचित मूल्य की दुकान का विक्रेता हितबद्ध पक्षकार से फीस के साथ आवेदन प्राप्त होने पर दस्तावेज की प्रतियां देगा ।

(7) उचित मूल्य की दुकान का विक्रेता आवश्यक वस्तुओ को जारी दरों पर तथा गरीबी रेखा से ऊपर एवं गरीबी रेखा से नीचे एवं अन्त्योदय अन्न योजना राशनकार्ड धारको को उपदर्शित की गई राशि पर बेचेगा ।

(8) उचित मूल्य की दुकान का विक्रेता किसी भी आवश्यक वस्तु जो लीड सोसायटी द्वारा दुकान को परिद्त की गई है, में प्रतिस्थापन , मिलावट या अपयोजन नही करेगा ।

(9) उचित मूल्य की दुकान का विक्रेता लीड सोसाइटी द्वारा उचित मूल्य की दुकान को दी गई आवश्यक वस्तुओ के सील्ड सेम्पल दुकान के बाहर निश्चित स्थान पर प्रदर्शित करेगा ।

(10) उचित मूल्य की दुकान का विक्रेता दुकान के संचालन के लिये प्राधिकार–पत्र को प्रदर्शित करेगा जो दुकान के भीतर निश्चित स्थान पर प्रदर्शित होगा ।

(11) उचित मूल्य की दुकान के विक्रेता द्वारा वितरण रजिस्टर संधारित किया जाएगा जिसमें कार्ड संख्या, इकाइयों (युनिट) की संख्या, परिवार के मुखिया का नाम, दिये गये खाद्यान्न की राशि उसका मूल्य एवं कुल योग जिस पर विक्रेता के साथ–साथ राशनकार्ड धारक के हस्ताक्षर आवश्यक रूप से होगे

(12) उचित मूल्य की दुकान का विक्रेता दिनॉक प्रविष्ट करने के पश्चात राशनकार्ड पर सुपाठ्य हस्ताक्षर करेगा ।

(13) उचित मूल्य की दुकान का विक्रेता शिकायत रजिस्टर, परिपत्र सह निर्देश रजिस्टर, आवश्यक वस्तुओ के लिए बिल तथा चालान अन्तर्विष्ट करने वाली फाइल, केशमेमो बुक तथा केश बुक संधरित करेगा तथा उसे निरीक्षण के समय प्रस्तुत करेगा ।

(14) उचित मूल्य की दुकान का विक्रेता किसी भी आवश्यक वस्तु का जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है, का अन्यथा विक्रय नहीं करेगा, परन्तु वह अन्य गैर राशन वस्तुएं बेच सकेगा जो किसी अन्य प्रयोजन से भंडार में ली गई है किन्तु इसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से प्रदाय किए गए राशन की वस्तुऐ सम्मिलित नहीं है ।

(15) उचित मूल्य की दुकान का विक्रेता ऐसी वस्तुऐ नहीं बेचेगा जिनकी तारीख समाप्त हो चुकी हो, रजिस्ट्रीकृत न हों, या आवंटन प्राधिकारी द्वारा प्रतिबंधित की गई है ।

(16) विक्रेता राशनकार्ड धारक का कोई भी राशनकार्ड प्रतिधारित नहीं करेगा या न रोकेगा या न ही दुकान में ऐसा राशनकार्ड रखेगा ।

(17) विक्रेता तीन माह के संव्यवहार से संबंधित दस्तावेजों का संधारण करेगा तथा किसी निरीक्षण की दशा में ऐसा वह स्टॉक रजिस्टर, वितरण रजिस्टर और विगत तीन वर्ष के क्रय बिल वाउचर प्रस्तुत करेगा, आवश्यक वस्तुओ का स्टॉक रजिस्टर, खाताबही रजिस्टर तथा वितरण रजिस्टर दिन प्रतिदिन संधारित किए जाऐगे ।

(18) उचित मूल्य की दुकान का विक्रेता नियमों के अनुसार बांट तथा माप रखेगा तथा नियमित रूप से सील लगाएगा ।

(19) विक्रेता राशनकार्ड धारकों को सेवा देने की व्यवस्था करेगा जिसे ग्राहकों को कोई कठिनाई न हो ।

(20) उचित मूल्य की दुकान का विक्रेता राशनकार्ड घारकों को कारबार के घंटों के दौरान सेवा देने से इंकार नही कर सकता जबकि उनके पास आवश्यक वस्तुओं का पर्याप्त भण्डार हो ।

(21) उचित मूल्य की दुकान प्रतिदिन खोली जाएगी (रविवार के सिवाय परन्तु इसमें स्थानीय क्षेत्र के लिए बाजार का दिवस शामिल नही है)

(22) विक्रेता, आवंटन अधिकारी द्वारा किए निरीक्षण को सुकर बनाएगा तथा निरीक्षण अधिकारी द्वारा मांगे गए समस्त दस्तावेज उपलब्ध कराएगा ।

(23) उचित मूल्य दुकानदार माह के प्रारम्भ से राशनकार्ड घारकों को सेवा देगा तथा उस दिनॉक को आवश्यक वस्तुओ के भण्डार को सुनिश्चित करेगा ।

(24) राशनकार्ड धारक एक माह में चार किश्तों तक उचित मूल्य की दुकान से सेवा सुनिश्चित कर सकेगा ।

(25) सोसायटी/संस्था प्राधिकार–पत्र प्राप्ति करने के पश्चात, विक्रेता नियुक्त करेगा तथा दुकान आवंटन प्राधिकारी को उसकी एक प्रति भेजेगा ।

(26) सोसइटी दुकान आवंटन अधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना विक्रेंता नही बदल सकती, विक्रेता द्वारा इस आदेश की शर्तो के किसी अतिलंघन के मामलें में विक्रेता को हटाए जाने से पहले वह दुकान आवंटन अधिकारी के घ्यान में लाया जाएगा ।

(27) उचित मूल्य दुकानदार मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2009 के अधीन दुकान आवंटन अधिकारी कलेक्टर, आयुक्त खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण तथा राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुकरण करेगा ।

स्थान : –

आवंटन प्राधिकारी की मुद्रा/

जारी करने की तारीख ....

हस्ताक्षर

विन्दु क्रमॉक –15 कृत्यों के निर्वाहन के लिये स्थापित मानक /नियम

शासन के आदेश एवं निर्देशानुसार

विन्दु क्रमॉक –16 इलेक्ट्रानिक रूप मे उपलब्ध सूचनायें

16.1 विभागीय मेनुअल विभाग की वेवसाइड ूणविवकण्उचण्हवअण्पद पर उपलब्ध है ।

16.2 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधान अनुसार अन्नपूर्णा योजनांतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की नवीन व्यवस्था अंतर्गत आयुक्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण भोपाल से विदिशा जिले को प्रदत्त अवंटन **समग्र पोर्टल की वेबसाईट ीजजचरूध्ध्दौंिउंहतंण्हवअण्पद** पर उपलब्ध रहता है ।

विन्दु क्रमॉक –17 सूचना प्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सूचनाओ का विवरण –

17.1 अखवारों के द्वारा समाचारों को जारी कर प्रचार–प्रसार

17.2 प्रदर्शनी– 15 मार्च को उपभोक्ता संरक्षण दिवस, 24 दिसम्बर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस

17.3 सूचना पटल कार्यालय में प्रदर्शित

17.4 अभिलेखों का निरीक्षण– निरीक्षण की व्यवस्था है ।

17.5 दस्तावेजों की प्रति प्राप्त करने की व्यवस्था है सशुल्क